-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष 2022 में थाना नरैनी क्षेत्र में सगे भाई की गैर-इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2022 में थाना नरैनी क्षेत्रान्तर्गत सगे भाई की गैर-इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 10.09.2022 की रात्रि को जनपद बांदा के नरैनी क्षेत्र के सहबाजपुर के रहने वाले बच्चू पुत्र जागेश्वर ने शराब के नशे में अपने सगे भाई कल्लू पुत्र जागेश्वर के सिर पर लकड़ी के चैले से मार दिया जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जिसके सम्बन्ध में मृतक के पिता जागेश्वर की तहरीर पर थाना नरैनी में मु0अ0सं0 195/22 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गई थी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री श्रवण कुमार तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी प्रवीण कुमार के अथक प्रयासों से आरोपी भाई को मा0 ADJ-I न्यायालय बांदा द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **बच्चू पुत्र जागेश्वर निवासी सहबाजपुर थाना नरैनी जनपद बांदा।**